

(3)

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रीवा (म0प्र0)

// विविध-आदेश //

क्रमांक 273 /
दो-15-3/90

रीवा, दिनांक 31/12/2025

श्रीमती भारती केशरी कश्यप, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड सिरमौर, जिला-रीवा (म0प्र0) के न्यायालय में लंबित निष्पादन प्रकरण क्रमांक 15/2023 केदारनाथ वगैरह बनाम शासन आदेश दिनांक 04.12.2025 एवं निष्पादन प्रकरण क्रमांक 08/2024 रामाधार काछी बनाम बालमीक प्रसाद पाण्डेय वगैरह आदेश दिनांक 12.12.2025 में ग्राम पडुआ एवं कठेरी तहसील मनगवां में स्थित होने एवं कार्यालय विविध आदेश क्रमांक 142/दो-04-01/74 दिनांक 17.05.2025 के द्वारा तहसील मनगवां के व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड की क्षेत्रीय अधिकारिता पंचम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड रीवा की न्यायालय को होने के फलस्वरूप सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 24 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये श्रीमती भारती केशरी कश्यप, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड सिरमौर, जिला-रीवा (म0प्र0) के न्यायालय में लंबित निष्पादन प्रकरण क्रमांक 15/2023 केदारनाथ वगैरह बनाम शासन आदेश दिनांक 04.12.2025 एवं निष्पादन प्रकरण क्रमांक 08/2024 रामाधार काछी बनाम बालमीक प्रसाद पाण्डेय वगैरह आदेश दिनांक 12.12.2025 को उनकी न्यायालय से वापस लिया जाकर विधि अनुसार निराकरण हेतु पंचम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड रीवा के न्यायालय में अंतरित किया जाता है।



(राकेश मोहन प्रधान)

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश

रीवा (म0प्र0)

रीवा, दिनांक 31/12/2025

पृष्ठांकन क्रमांक 6496 /
दो-15-3/90

प्रतिलिपि:-

1. श्रीमती भारती केशरी कश्यप, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड सिरमौर
2. पंचम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, रीवा।
की ओर निष्पादन प्रकरण क्रमांक 15/2023 केदारनाथ वगैरह बनाम शासन आदेश दिनांक 04.12.2025 एवं निष्पादन प्रकरण क्रमांक 08/2024 रामाधार काछी बनाम बालमीक प्रसाद पाण्डेय वगैरह आदेश दिनांक 12.12.2025 मूलतः अग्रिम कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।
3. अध्यक्ष अधिवक्ता संघ रीवा, रीवा/सिरमौर।
4. प्रस्तुतकार, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रीवा।
5. जू0सि0ए0/डी.एस.ए., कम्प्यूटर अनुभाग रीवा।
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।



प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश

रीवा (म0प्र0)